न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी

राजस्व अपील संख्या 285/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
श्रीमती दाखु पुत्री परमु जाति हरिजन निवासी रामपुरा तहसील तिंवरी जिला जोधपुर		1– भोमला पुत्र परभु 2– सेणीया पुत्र परभु 3– किसीया पुत्र परभु जातियान हरीजन निवासीगण रामपुरा तहसील तिवंरी, जिला जोधपुर 4– ग्राम पंचायत रामपुरा पंचायत समिति ओसियां तहसील ओसियां, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 13–7–2016 जो उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा राजस्व अपील संख्या 25/2014 अनवान दाखु बनाम भोमला वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री रोशनलाल विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 25–4–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रामपुरा तहसील ओसियां के खसरा नंबर 573/मी रकबा 15 बीघा भूमि अपीलार्थी के पिता परभु पुत्र लालू के खातेदारी की थी । उक्त खातेदार परभु के फोत होने पर उसके खातेदारी की भूमि मे अपीलार्थियां प्रथम श्रेणी की वारिस होने से उसका भी बराबर का हिस्सा होते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 384 त्रुटिपूर्ण तरीके से मृतक परभु के तीन पुत्र वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के पक्ष मे दिनांक 6–2–71 को स्वीकृत कर दिया । उक्त म्युटेशन की जानकारी होने पर अपीलार्थियां ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां के समक्ष उक्त म्युटेशन के विरूद्ध प्रथम अपील धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण के नोटिस जारी किये तथा पत्रावली नोटिस इन्तजार एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड तलबी मे चल रही थी इस दौरान पत्रावली को सुनवाई का अवसर दिये बिना दिनांक 13–7–16 को लोक अदालत/ केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र मथानियां मे ले जाकर मयाद के बिन्दु पर खारीज कर दी । जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है ।

वकील अपीलांट उपस्थित । रेस्पो0गण बावजुद तामिल के अनुपस्थित । अपीलांट अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो

को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलांट अपीलाधीन भूमि के पूर्व खातेदार परभु पुत्र लाला की जायंदा पुत्री है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की वारिस होते हुए खातेदार परभु के फोत होने पर उसके खातेदारी की भूमि का फोतेदगी नामांतरकरण सख्या 384 मे केवल तीन पुत्रगण वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 से 3 का नाम दर्ज करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थियां को अपीलाधीन म्युटेशन की जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ अपील पेश की थी तथा धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे अपील पेश करने मे हुए विलंब का पर्याप्त कारण उल्लेख किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 5 मयाद अधिनियम क प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन या जवाब रेस्पो0गण द्वारा नही किया गया था तथा यह भी कथन किया कि अपीलार्थियां प्रथम श्रेणी की वारिस होते हुए उसे अपने पिता के खातेदारी से वंचित रखते हुए जो म्युटेशन संख्या 384 स्वीकृत किया था, वह एब–इनिश्यो–वॉईड म्युटेशन था तथा ऐसे विधिविरूद्ध आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने मे मयाद का बिन्दु गौण हो जाता है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थियां की अपील को मयाद बाहर मानकर खारीज करने मे विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे पत्रावली तामिल एवं रेकर्ड तलबी मे चल रही थी तथा पत्रावली को केम्प कोर्ट मे ले जाने बाबत न तो कोई आदेशिका मे आदेश है और न ही पत्रावली केम्प मे रखने बाबत पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाना पाया जाता है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दोनो पक्षो को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही लोक अदालत केम्प मथानिया मे अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–7–16 पारित करते हुए अपीलार्थियां की अपील को मयाद बिन्दु पर खारीज कर दी, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13–7–2016 व आलौच्य नामांतरकरण संख्या 384 को निरस्त करने तथा अपीलार्थियां का नाम रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के साथ दर्ज करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

हमने अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 384 एवं अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन किया । अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 384 का अवलोकन करने पर उक्त म्युटेशन उतराधिकार का है जो खातेदार परभु के फोत होने पर उसके उतराधिकारियो मे केवल तीन पुत्रो के नाम दर्ज कर स्वीकृत किया गया जबकि अपीलार्थियां भी मृतक खातेदार की पुत्री होने से वह भी प्रथम श्रेणी की उतराधिकारी थी, जिसे अपने पिता के खातेदारी

की भूमि से वंचित रख देने पर उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां के समक्ष उक्त म्युटेशन संख्या 384 के विरूद्ध प्रथम अपील पेश की तथा अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया ।

अधीनस्थ न्यायालय मे उक्त अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर पत्रावली तामिल मे चल रही थी इस बीच पत्रावली को दिनांक 13–7–16 को लोक अदालत/केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र मथानिया मे ले जाकर दोनो पक्षो को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज कर दी जबकि पत्रावली पर ऐसा कोई नोटिस या सूचना पक्षकारान के लिए नही थी कि पत्रावली को दिनांक 13–7–2016 लोक अदालत/ केम्प कोर्ट मथानिया मे ले जाकर सुनवाई की जाना प्रकट हो । ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत पारित किया जाना प्रकट है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही समझते है ।

ऐसे मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–7–16 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को नोटिस जारी कर उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे ।

निर्णय आज दिनांक 25–4–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

।